प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

19 दिसम्बर **2017**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन "सेवा कर राजस्व" आज संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवदेन जिसमें मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये सेवा कर राजस्व 2017 की प्रतिवदेन संख्या 43 पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं, आज संसद में प्रस्तुत किया गया हैं।

इस प्रतिवदेन में ₹ 352.86 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सेवा कर पर 196 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 205.26 करोड़ के राजस्व वाली 176 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था (सितम्बर 2017 तक) और ₹ 100.70 करोड़ की वसूली सूचित की थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

अध्याय । : सेवा कर प्रशासन

- वित्तीय वर्ष 2016-17 (वि‍व17) के दौरान सेवा कर राजस्व संग्रहण ₹ 2,54,499 करोड़ था और वि‍व17 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 1.6)

- भाग ने ₹ 1,893 करोड़ रुपये की एक छोटी राशि वसूल कर ली थी, जबकि शेष सेवा कर का ₹ 1.18 लाख करोड़ रुपये बकाया अभी तक वसूल किया जाना है।

(पैराग्राफ 1.10)

- ₹ 1,22,008 करोड़ के राजस्व से जुडे मामले, वि‍व16 के अंत तक लंबित राशि पर 26 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुये, वि‍व17 में अपील में लंबित थे। विभिन्न

प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र निपटान करना सरकारी राजकोष में ₹ 1,22,008 करोड़ के संभाव्य राजस्व प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण है।

(पैराग्राफ 1.15)

- विभाग ने लेखापरीक्षा के लिये नियत इकाईयों के राजस्व आधारित चयन से लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में उपलब्ध श्रमबल की फैक्टरिंग द्वारा जोखिम आधारित चयन में शिफ्ट किया। लेखापरीक्षा हेतु निर्धारितियों के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन के बावजूद बड़ी और मध्यम इकाईयों में अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी।

(पैराग्राफ 1.17)

अध्याय II: वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा पर सेवा कर

वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा से प्राप्त सेवा कर राजस्व में वि‍व13 में ₹ 880 करोड़ से वि‍व16 में ₹ 1,950 करोड़ की वृद्धि हुई जो यह स्पष्ट करता है कि कोचिंग केन्द्रों का व्यापार प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। पिछले तीन वर्षों में इस सेवा कर की औसत वार्षित विकास दर इस क्षेत्र के लिये संभावित विकास दर के अनुरूप नहीं थी। हमने सेवा कर से जुड़ी 117 कमिश्नरियों में से 18 चयनित कमिश्नरियों में इस क्षेत्र में एसएससीए किया। महत्वपूर्ण अवलोकन हैं:

- इस क्षेत्र के विकास की गति की तुलना में कर निर्धारण में वृद्धि के लिये विभाग द्वारा किये गये प्रयास अपर्याप्त थे और इसमें राजस्व हानि निहितार्थ थी जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित स्वतंत्र जांच से स्पष्ट है।
    - विशेष सेल जिनके पास संभावित निर्धारितियों को पहचानने का अधिकार है, वो सभी चयनित कमिश्नियों में गैर-मौजूद/गैर-कार्यात्मक थे।

    (पैराग्राफ 2.5.2)

    - लेखापरीक्षा ने 1,005 अपंजीकृत निर्धारितियों की पहचान की, जिसमें से 250 मामलों में, हम ₹ 6.11 करोड़ की सेवा कर देयता निर्धारित कर सके।

    (पैराग्राफ 2.4)

- विवरणियों की संवीक्षा के संबंध में विभाग के निष्पादन में भी कमी थी।

- 10 चयनित कमिश्निनयों में, कुल देय विवरणियों में से 46.25 प्रतिशत विवरणियां इस क्षेत्र से संबंधित निर्धारितयों द्वारा फाइल नहीं किये गये थे लेकिन केवल पांच कमिश्नरियों में नॉन-फाइलर्स पर कार्रवाई की गई थी।

(पैराग्राफ 2.6.1)

- विभाग विव14 से विव16 की अवधि के दौरान समीक्षा और संशोधन (आरएंडसी) हेतु मार्क किये गये विवरणियों की 98 प्रतिशत में आरएंडसी करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 2.6.3)

- लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों के नमूना जांच अभिलेखों से पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा सेवा कर के गैर/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट के अनियमित लाभ, ब्याज का गैर/कम भुगतान आदि के 179 मामलों का पता चला। जिसमें ₹ 88.26 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 2.4)

अध्याय III: नियमो और अधिनियमो का गैर-अनुपालन

- हमारे परीक्षण जांच के दौरान, हमने सेवा कर के गैर-भुगतान/लघु भुगतान, सेनवैट क्रेडिट के गलत लाभ/उपयोग और देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने पर 92 महत्वपूर्ण मामलों को देखा, जिनमें ₹ 92.61 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ हैं। अनियमितताएं वर्ष दर वर्ष बनी रही है क्योंकि विभाग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्रवाई ना करके केवल लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों में ही सुधारात्मक कार्रवाई करता है।

(पैराग्राफ 3.1)

अध्याय IV: आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

- हमारे परीक्षण जांच के दौरान विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और अन्य कार्यों को पूरा करने में विभाग की विफलता को देखा और 103 मामलों में जो महत्वपूर्ण माने गये, जिनमें कि ₹ 165.88 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ हैं, को रिपोर्ट में शामिल किया गया था।

(पैराग्राफ 4.2)